

21-5-25

पत्रावली पेश हुई

वादी वकील उपा. उपा. सिंघानी वरमा उपा.  
श्री. पारवती

किमान उपलब्ध (पत्रावली) मातः उपा. उपा.

तब 27.25 को प्रेषित

सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी

27.25

पत्रावली पेश हुई

वादी वकील उपा. उपा. सिंघानी वरमा उपा.  
श्री. पारवती

किमान उपलब्ध (पत्रावली) मातः उपा. उपा.

पत्रावली गति 22.8.25 को प्रेषित



सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी

22.8.25

पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उप।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त रिपोर्ट का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवचेन किया गया। चूंकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के जरिये पक्षकारान के मध्य खातेदारी घोषणा बाद विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद की इस्तदुआ

सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी

में अपने दर्ज राजस्व रेकॉर्ड में हिस्साकस्ती के आधार पर कब्जे काशत अनुसार विभाजन के वाद के अवलोकन में पाया गया पक्षकारान के खातेदारी जोत के तकासमा हेतु गठित टीम के मौका निरीक्षण के समक्ष कोई भी पक्षकार बावजूद पूर्व सूचना के उपस्थित नहीं हुए तथा अलग-अलग ढाणियो, टांके, कब्जा काशत आदि नहीं है। इस संबंध में संबंधित पक्षकारान से दूरभाष से वार्ता किये जाने पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने हेतु सहमत नहीं है, पत्रावली पर प्राप्त रिपोर्ट के अद्यतन में पाया गया कि पक्षकारान अपनी सामलाती जोत के तकासमा हेतु न तो मौके पर बावजूद सूचना के उपस्थित हुए और ना ही बिना किसी तस्दीक अथवा पैमाईश के यह संभव नहीं हो पायेगा कि किस रिति से पक्षकारान की जोत का विभाजन तैयार किया जाना है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे काशत की पूर्व जानकारी के अभाव में जोत का तकासमा किया जाना संभव नहीं है। अतः पक्षकारान की विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में सहमति के अभाव में वाद की कार्यवाही को इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद जो संयुक्त खातेदारी के विभाजन की इस्तदुआ को असहमति को दृष्टिगत रखते हुए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर एवं नम्बर से कम हो।



सहायक कलेक्टर  
SDO सिंगधरी